न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, **IAS**
प्रकरण संख्या –01/2010 (प्रार्थना पत्र 6ए)
जीसीएमएस नं0 2010/00025

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री सतीश सिंघल पुत्र श्री हरिसहाय गुप्ता जाति महाजन, निवासी 804–ए, बरकत नगर, जयपुर हाल क्षैत्रीय प्रबन्धक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघे लिमिटेड (कॉनफेड) कोटा
2. श्री प्रदीप जैन, तत्कालीन क्षैत्रीय प्रबन्धक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफेड) कोटा
3. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड कोटा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 के तहत सीजशुदा गेहूं 20.06 क्विंटल को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थित :–
1. पेरोकार रसद

निर्णय

दिनांक–19.02.2024

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 5.12.2009 को जिला रसद अधिकारी कोटा के निर्देश पर मन ओम प्रकाश पाण्डेय प्रवर्तन निरीक्षक हमराह श्री इन्द्रजीत सिंह मक्कड, श्री टीकमराम भाटी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री इरफान कुरैशी, प्रवर्तन निरीक्षक के साथ प्राधिकृत थोक विक्रेता कॉनफेड कोटा के पास अवशेष गेहूं एवं चीनी के स्टॉक को नियमानुसार कोटा कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी कोटा को हस्तान्तरित कराने हेतु कॉनफेड कोटा के रोड नं. 2 आई पी आई ए कोटा के गोदाम पर पहुंचे । मौके पर श्री सतीश सिंघल पुत्र श्री एच एस गुप्ता हाल कार्यवाहक क्षैत्रीय प्रबन्धक कॉनफेड एवं श्री लोकेश कुमार बाफना पुत्र श्री मानसिंह बाफना हाल कनिष्ठ लेखाकार कॉनफेड कोटा मौजूद मिले उक्त गेहूं एवं चीनी के स्टॉक के सम्बन्ध में पूछने पर उक्त अधिकारियों ने कम्प्यूटर से एक सूची निकालकर प्रस्तुत की जिसमें कॉनफेड के पास मोजूदा स्टॉक निम्न प्रकार होना अंकित किया

गेहूं–

1 एस जी आर वाई (स्पे. कम्पो.)–	383.44	क्विंटल
2 एस जी आर वाई	– 1574.70	क्विंटल
3 अन्नपूर्णा	– 1897.94	क्विंटल
4 अन्त्योदय	– 4877.14	

जिला कलेक्टर
कोटा

	योग– 8733.22 क्विंटल
5 ए पी एल गेहूं (आस्था)	– (–) 56.53 क्विं.
6 बी.पी.एल. गेहूं	– (–) 2513.97 क्विं.
7 ए.पी.एल. गेहूं	– (–) 3321.37 क्विं.
योग–	(–)5891.87
8 लेवी चीनी	– 721.50 क्विं.

अवशेष गेहूं का स्टॉक–8733.22–5891.87 = 2841.35 क्विं.

इस प्रकार कॉनफेड कोटा के पास रिकार्ड के अनुसार उक्त 2841.35 क्विं. गेहूं विभिन्न योजनाओं का एवं 721.50 क्विं. लेवी चीनी का स्टॉक श्री सिंघल द्वारा अपने गोदामों में उपलब्ध होना बताया गया । इस स्टॉक का मौके पर उपस्थित कोटा कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी के प्रतिनिधि श्री अजय सिंह पवार महाप्रबनधक एवं श्री राजेन्द्र सिंह चौहान प्रभारी उपभोक्ता शाखा को दिखाया गया । मौके पर उपलब्ध गेहूं एवं चीनी की गुणवत्ता पर कोटा कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी के उक्त प्रतिनिधियों द्वारा संतोष व्यक्त करने के पश्चात उक्त गेहूं को ट्रको में भरवाकर तोल कांटे पर इसका तौल करवाया गया इस तोल में कुल 5719 बोरियों में उक्त गेहूं का तोल कांटे से तौल कराने पर कुल 2861.35 क्विं. गेहूं होना चाहिए था जबकि भौतिक सत्यापन करने पर कुल 2861.41 क्विं. गेहूं मौके पर पाया गया अर्थात 20.06 क्विं. गेहूं स्टॉक से अधिक पाया गया । इस आधिक्य गेहूं के सम्बन्ध में पूछने पर श्री सिंघल द्वारा कोई संतोष जनक उत्तर नहीं देने से नियमानुसार संलग्न फर्द अधिग्रहण मुताबिक इस 20.06 हे0 क्विं. गेहूं को मौके पर जब्त किया गया एवं सुरक्षा एवं साक्ष्यों की दृष्टि से उक्त गेहूं को मौके पर उपस्थित श्री अजय सिंह पंवार महाप्रबन्धक कोटा कॉपरेटिस मार्केटिंग सोसायटी को संलग्न फर्द सुपुर्दगीनामे के अनुसार दिया गया । मौके पर लेवी चीनी 5. किलो भर्ती के कुल 1438 कट्टो में एवं 25 किलो खुली अर्थात कुल 719.25 क्विंटल मौके पर पायी गई अर्थात रिकार्ड से 2.25 क्विं. चीनी स्टॉक में कम पायी गई । इस प्रकार से उक्त फर्म, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड कोटा के क्षैत्रीय प्रबन्धक श्री सतीश सिंघल एवं श्री प्रदीप जैन तत्कालीन क्षैत्रीय प्रबन्धक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड कोटा द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 के साथ साथ उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,6,11 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है । अतः आवश्यक वस्तु अधीनियम 1955 की धारा 6–ए के अन्तर्गत उक्त सीजशुदा 20.06 क्विं. गेहूं को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें ।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण

जिला कलेक्टर
कोटा

के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड कोटा के क्षैत्रीय प्रबन्धक श्री सतीश सिंघल एवं श्री प्रदीप जैन तत्कालीन क्षैत्रीय प्रबन्धक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड कोटा द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 के साथ साथ उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,6,11 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है । अतः आवश्यक वस्तु अधीनियम 1955 की धारा 6–ए के अन्तर्गत उक्त सीजशुदा 20.06 क्विं. गेहूं को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें ।
4. हमने पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दिनांक 5.12.2009 को जिला रसद अधिकारी कोटा के निर्देश पर उनके प्रवर्तन निरीक्षक स्टॉफ द्वारा प्राधिकृत थोक विक्रेता कॉनफेड कोटा के पास अवशेष गेहूं एवं चीनी के स्टॉक को नियमानुसार कोटा कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी कोटा को हस्तान्तरित कराने हेतु कोनफेड कोटा के रोड नं. 2 आई पी आई ए कोटा के गोदाम पर पहुंचे जहां पर रेकार्ड एवं भौतिक सत्यापन करने पर 20.06 क्विं. गेहूं स्टॉक से अधिक पाया गया, जिसका कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं देने पर जब्त किया जाकर मौके पर महाप्रबन्धक कोटा कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी के सुपुर्दगी में दिया गया । उक्त जब्तशुदा गेहूं 20.06 क्विं. गेहूं का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए–2(।।) के तहत सार्वजनिक निलामी द्वारा अन्तरिम निस्तारण के आदेश इस न्यायालय से दिनांक 8.11.2011 से दिये जा चुके है । इस प्रकार उक्त जब्तसुदा गेहूं अन्तरिम निस्तारण हो चुका है । अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस का जवाब नहीं देने तथा अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तसुदा माल राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है ।
6. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी फर्म से जब्तसुदा माल 20.06 क्विं. गेहूं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात (Confiscat) किया जाता है । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भिजवाई जावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा